न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 11/2016

प्रार्थी		अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर	बनाम्	1.चन्द्र सोलंकी पुत्र चम्पालाल सोलंकी जाति माली निवासी उतरलाई जिला बाड़मेर 2. मुकेश सोलंकी पुत्र चम्पालाल सोलंकी निवासी उतरलाई जिला बाड़मेर (राज.)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. श्री जसवन्त बोहरा अधिवक्ता अप्राथीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.02.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.10.2015 को दोपहर 01.00 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसिलसिले निरीक्षण करते हुए फर्म मैसर्स एन.एस. एन्टरप्राईजेज उतरलाई जिला बाड़मेर पहुॅचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। नाम व पता पूछने पर अपना नाम चन्द्र सोलंकी पुत्र चम्पालाल सोलंकी जाति माली निवासी उतरलाई जिला बाड़मेर मैसर्स एन. एस. एन्टरप्राईजेज उतरलाई का मुनिम होना बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर मिठाई (कलाकन्द) एक बर्तन में करीब पांच किलोग्राम भरी हुई पाई गई। जिसे आम जनता को विक्रय किया जा रहा था। मिठाई (कलाकन्द) में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त मिठाई (कलाकन्द) में से दो किलोग्राम (आधा–आधा किलो) खरीदी जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 500/– रूपये किया गया। मिठाई (कलाकन्द) को चार सूटेबल कांच की शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा जाकर नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक कांच की शिशियों पर चिपकाई। स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी 570 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को कॉस करते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

हुए हस्ताक्षर करवाये। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–570 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाद्य पदार्थ मिठाई (कलाकन्द) नमूना पी–570 की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/766/एक्ट/2015/764 दिनांक 26.10.2015 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें मिठाई (कलाकन्द) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर का होना पाया गया। रेफरल लेब गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट सि0 836/15/आरएफएल/1148 दिनांक 16.12.2015 में भी मिठाई (कलाकन्द) का नमूना अवमानक स्तर का पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ मिठाई (कलाकन्द) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.570 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री जसवन्त बोहरा अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित करते हुए निस्तारण करने का निवेदन किया।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 17.10.2015 को हेतु मैसर्स एन.एस. एन्टरप्राईजेज उतरलाई जिला बाड़मेर का निरीक्षण करने पर मिठाई (कलाकन्द) एक बर्तन में करीब पांच किलोग्राम भरी हुई पाई गई। जिसे आम जनता को विक्रय किया जा रहा था। मिठाई (कलाकन्द) का नमूना पी.570 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाये जाने के फलस्वरूप खाध सुरक्षा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/766/एक्ट/2015/764 दिनांक 26.10.2015 एवं रेफरल लेब गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट सि0 836/15 आरएफएल/1148 दिनांक 16.12.2015 में भी मिठाई (कलाकन्द) का नमूना पी. 570 अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का मिठाई (कलाकन्द) रखने एवं बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहतं अप्रार्थीगण चन्द्र सोलंकी एवं मुकेश सोलंकी प्रत्येक पर 5000/– 5000/–(अक्षरे रूपये पांच–पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 11.02.2017 से एक माह के अंदर– अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति.जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज तारीख 11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर